न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
(म0प्र0)

II/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/0571

गेंदवती बेवा मंगलदास महरा आयु–53 वर्ष निवासी ग्राम–सेमरिहाटोला (जमगांव), पोस्ट–जमगांव, तहसील–जैतपुर, जिला–शहडोल म0प्र0

....................निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामजियावन चौधरी पिता मुड़िया चौधरी (फौत) उपस्थित जरिये वारिसान–
2. बबन बाई चौधरी पति स्व0 रामजियावन चौधरी आयु–60 वर्ष
3. कमलेश चौधरी पिता स्व0 रामजियावन चौधरी
4. काशीराम चौधरी पिता स्व0 रामजियावन चौधरी

सभी निवासी ग्राम–सेमरिहाटोला, (जमगांव), पोस्ट–जमगांव, तहसील जैतपुर, जिला–शहडोल म0प्र0 ....गैरनिगराकारगण

राजस्व निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कोतमा के रा0प्र0क्र0–01/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2012 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि:–

1. यह कि भूमि ग्राम बिजहाटोला, प0ह0–छुलहाटोला, तहसील कोतमा जिला–अनूपपुर म0प्र0 की आराजी ख0नं0–981/3 रकबा–1.457 हे0 भूमि के भूमि स्वामी वर्ष 2012–13 में रामजियावन चौधरी रहे है।
2. यह कि उक्त भूमि के सीमांकन किये जाने के संबंध में रामजियावन चौधरी के द्वारा आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार कोतमा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/571 गेंदवती विरूद्ध रामजियावन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार कोतमा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोतमा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	